रजिस्ट्री सं. डी. एल.-33004/98

REGD. NO. D. L.-33004/98

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 54] नई दिल्ली, मंगलवार, फरवरी 2, 1999/माघ 13, 1920
No. 54] NEW DELHI, TUESDAY, FEBRUARY 2, 1999/MAGHA 13, 1920

SECRETARIAT LIBRARY 19/4/99

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 1999

का.आ. 55(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमा सुरक्षा बल अधिनियम, 1968 (1968 का 47) की धारा 141 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सीमा सुरक्षा बल (संशोधन) नियम, 1999 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. सीमा सुरक्षा बल नियम, 1969 के (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) नियम, 14क में, उपनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम रखा जाएगा, अर्थात् :—

(3) इन नियमों में किसी बात के होते हुए भी, महानिदेशक, जब कभी उसके द्वारा बल के बेहतर कार्यकरण के हित में ऐसा करना आवश्यक समझा जाए,

(i) इसमें इसके पश्चात् यथा उपबंधित केन्द्रीय सरकार द्वारा पुष्ट किए जाने के अधीन रहते हुए, बल के किसी आफिसर या सूबेदार को उपनियम (1) के खंड (क) में क्रम सं. (6), (7) और (8) के सामने वर्णित रैंक, स्थानीय रैंक के रूप में प्रदान कर सकेगा;

(ii) केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन के अधीन रहते हुए, बल के किसी आफिसर को उपनियम (1) के खंड (क) में क्रम सं. (2), (3), (4) और (5) के सामने वर्णित रैंक, स्थानीय रैंक के रूप में प्रदान कर सकेगा।

3. मूल नियम के नियम 45 में, तीसरे परन्तुक के पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

परन्तु यह और कि अधिनियम की धारा 14, धारा 15, धारा 17, धारा 18 के अधीन अपराधों और धारा 46 के अधीन दण्डनीय "हत्या" के अपराध के मामलों में, यदि अभियुक्त फरार हो गया है या उसने अभित्यजन किया है, कमाण्डेंट, उसकी अनुपस्थिति में, आरोप की सुनवाई करेगा और साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित करेगा।

4. मूल नियम के नियम 45ख में.—

(1) उप नियम (1) में,—

(i) खण्ड (2) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ख) आरोप पत्र और साक्षियों का कथन, यदि अभिलिखित किया जाता है और सुसंगत दस्तावेजों, यदि कोई है, को अभियुक्त को, यदि फरार नहीं हुआ है या उसने अभित्यजन नहीं किया है, पढ़कर सुनाया जाएगा।;

(ii) खण्ड (ग) में "अभियुक्त को" शब्दों के पश्चात् "यदि वह फरार नहीं हुआ है या उसने अभित्यजन नहीं किया है, शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे"।

(2) उपनियम (2) में, दूसरे परन्तुक के पश्चात्, निम्नलिखित परन्तुक अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"परन्तुक यह भी कि अधिनियम की धारा 14, धारा 15, धारा 17, धारा 18 के अधीन अपराधों और धारा 46 के अधीन दण्डनीय "हत्या" के अपराध के मामलों में यदि अभियुक्त फरार हो गया है या उसने अभित्यजन किया है, कमाण्डेंट, उसकी अनुपस्थिति में, आरोप की सुनवाई करेगा और साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने के लिए मामले को प्रतिप्रेषित करेगा।"

5. मूल नियम के नियम 48 के पश्चात् निम्नलिखित नियम अंत:स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"48क. यदि कोई ऐसा व्यक्ति, जो इस अधिनियम के अधीन है, अधिनियम की धारा 14, धारा 15, धारा 17, धारा 18 के अधीन अपराध और धारा 46 के अधीन दण्डनीय "हत्या" का अपराध करने के पश्चात् फरार हो जाता है या बल का अभित्यजन कर देता है और उसके तत्काल पकड़े जाने की सम्भावना है, तो साक्ष्य का अभिलेख तैयार करने के लिए नियुक्त आफिसर अभियुक्त की अनुपस्थिति में, साक्षियों की परीक्षा करेगा और ऐसा साक्ष्य, ऐसे अभियुक्त के पकड़े जाने पर, सुरक्षा बल न्यायालय द्वारा विचारण में उसके विरुद्ध साक्ष्य के रूप में दिया जाएगा, यदि ऐसा साक्षी मर गया है या वह साक्ष्य देने के लिए असमर्थ हो गया है या मिल नहीं सकता है या उसकी हाजिरी इतने विलम्ब, व्यय या असुविधा के बिना उपाप्त नहीं की जा सकती, जितना मामले की परिस्थितियों में अयुक्तियुक्त होगा।"

[फा.सं. 1(13)/94-सी.एल.ओ./बी.एस.एफ.]
समीर शर्मा, उप सचिव (सी पी ओ)

टिप्पणी :— मूल नियम अधिसूचना सं. का.आ. 2336 तारीख 9 जून, 1969 असाधारण भाग II, खण्ड 3, उपखण्ड (ii) द्वारा पृष्ठ 739—797 पर प्रकाशित किए गए और तत्पश्चात् उनका निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया :—

(1) का.आ. 1362 तारीख 7 अप्रैल, 1970
(2) का.आ. 4034 तारीख 21 अक्तूबर, 1971
(3) का.आ. 5087 तारीख 6 नवम्बर, 1971
(4) का.आ. 329 (अ) तारीख 29 अप्रैल, 1981
(5) का.आ. 155 तारीख 1 मार्च, 1983
(6) का.आ. 187 (अ) तारीख 23 मार्च, 1984
(7) का.आ. 436(अ) तारीख 29 मई, 1990
(8) का.आ. 188(अ) तारीख 13 मार्च, 1993
(9) का.आ. 1040 तारीख 25 मार्च, 1996
(10) का.आ. 1686 तारीख 31 मई, 1996
(11) का.आ. 166 तारीख 14 जनवरी, 1998.

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 1999

S.O. 55(E).—In exercise of powers conferred by Section 141 of the Border Security Force Act, 1968 (47 of 1968), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Border Security Force Rules, 1969, namely :—

1 (1) These rules may be called the Border Security Force (Amendment) Rules, 1999.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Border Security Force Rules, 1969 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 14A, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

(3) Notwithstanding anything contained in these rules, the Director General may,—

(i) subject to the confirmation by the Central Government as provided hereinafter, grant to an officer or Subedar of the Force, a rank mentioned against Sr. No. (6), (7) and (8), in clause (a) of sub-rule (1), as a local rank;

(ii) subject to prior approval of the Central Government, grant to an officer of the Force a rank mentioned against Sr. No. (2), (3), (4) and (5), in clause (a) of sub-rule (1), as a local rank;

Whenever as considered necessary by him in the interest of better functioning of the Force.

3. In rule 45 of the principal rules, after the third proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided further that in case of offences under Sections 14, 15, 17, 18 and offence of 'murder' punishable under Section 46 of the Act, if the accused has absconded or deserted, the Commandant shall hear the charge in his absence and remand the case for preparation of the record of evidence."

4. In rule 45B of the principal rules,–

(1) in sub rule (1), –

(i) for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

"(b) The charge sheet and statement of witnesses, if recorded and relevant documents, if any, shall be read over to the accused if he has not absconded or deserted.";

(ii) in clause (c), after the words "The accused", the words "if he has not absconded or deserted." shall be inserted;

(2) in sub rule (2), after the second proviso, the following proviso shall be inserted, namely:—

"Provided also that in case of offence under Sections 14, 15, 17, 18 and offence of 'murder' punishable under Section 46 of the Act, if the accused has absconded or deserted, the Commandant shall hear the charge in his absence and remand the case for preparation of record of evidence."

5. After rule 48 of principal rules, the following rules shall be inserted, namely :—

"48A. If a person subject to the Act absconds or deserts the Force after commission of offences under Sections 14, 15, 17, 18 and offence of 'murder' punishable under Section 46 of the Act and there is no immediate prospect of his apprehension, the officer detailed to prepare the record of evidence shall examine the witnesses in the absence of the accused and such evidence may, on the apprehension of such accused, be given in evidence against him at the trial by a Security Force Court, if such witness is dead or incapable of giving evidence or cannot be found or his presence cannot be procured without an amount of delay, expenses or inconvenience which, under the circumstances of the case would be unreasonable."

[File No. 1/13/94-CLO/BSF]
SAMEER SHARMA, Dy. Secy. (CPO)

Note :– Principal rules were published vide No. S.O. 2336 dated 9th June, 1969 (Extraordinary) and subsequently amended vide :

(i) S.O. 1362 dated 7 April, 1970
(ii) S.O. 4034 dated 21 Oct., 1971
(iii) S.O. 5087 dated 6 Nov., 1971
(iv) S.O. 329(E) dated 29 April, 1981
(v) S.O. 155 dated 1 March, 1983
(vi) S.O. 187(E) dated 23 March, 1984
(vii) S.O. 436(E) dated 29 May, 1990
(viii) S.O. 188(E) dated 13 March, 1993
(ix) S.O. 1040 dated 25 March, 1996
(x) S.O. 1686 dated 31 May, 1996
(xi) S.O. 166 dated 14 January, 1998

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
P by of